



## छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2022 सत्र

### दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2022 (फाल्गुन 24, 1943)

समय 11:00 बजे दिन

#### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

#### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ सोन्डिहा कोल कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 पटल पर रखेंगे।
- (2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 पटल पर रखेंगे।
- (3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021 पटल पर रखेंगे।
- (4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखेंगे।
- (5) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखेंगे।
- (6) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूँ।
- (7) श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखेंगी।
- (8) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2020-21 पटल पर रखेंगे।
- (9) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखेंगे।

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, प्रदेश में चलित ग्रामीण चिकित्सा इकाई व 108 संजीवनी एम्बुलेंस के अनुबंध में संबंधित फर्मों के द्वारा शर्तों का पालन नहीं किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र पामगढ़ के थाना शिवरीनारायण अंतर्गत ग्राम सलखन निवासी एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

### 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
  - (i) ग्राम परसदा (भ) में पूर्व माध्यमिक शाला खोलने,
  - (ii) ग्राम सल्फा-मोतिमपुर-धुमा-अमलीडीहा मार्ग का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य करने
  - (iii) ग्राम गुमा-बोहारडीह मार्ग निर्माण करने,
  - (iv) प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास पथरिया तक सी.सी. रोड निर्माण करने,
  - (v) ग्राम सरवानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
  - (vi) ग्राम सिलयारी में सामुदायिक भवन निर्माण करने,
- (2) श्रीमती छन्नी चंदू साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–
  - (i) नगर पंचायत छुरिया में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नवीन भवन निर्माण करने,
  - (ii) ग्राम आतरगांव-पाण्डुका से तुमड़ीलेवा तक पुल-पुलिया सहित मार्ग निर्माण करने,
- (3) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
  - (i) ग्राम बागमोहलई-2 में स्टापडेम सह पुलिया निर्माण करने,
  - (ii) ग्राम बेलपुटी -2 में बंजारिन घाट पर स्टापडेम निर्माण करने,
  - (iii) ग्राम सतोषा-2 में मारकण्डी नदी पर स्टापडेम निर्माण करने,
- (4) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–
  - (i) ग्राम गोपालपुर में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
  - (ii) ग्राम टिनमिनी-नावापाली के मध्य बोरो नाले पर पुल निर्माण करने,
  - (iii) ग्राम मनुवापाली में माध्यमिक शाला खोलने,
  - (iv) ग्राम अमुरा में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

- (v) ग्राम तडोला में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
- (vi) ग्राम कोतासुरा में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
- (5) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य, सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत—
- (i) ग्राम बिरनासिल्ली में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
- (ii) ग्राम सांकरा से टेंगना तक पक्की सड़क निर्माण करने,
- (iii) ग्राम रतावा—पोड़ागांव के मध्य बालका नदी पर पुल निर्माण करने तथा
- (iv) ग्राम तुमड़ीबाहर में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

## 6. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 1 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (2) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 3 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

## 7. वित्तीय वर्ष 2022—2023 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय

2 घंटे (1)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री के विभागों से संबंधित—

मांग संख्या	28	राज्य विधान मण्डल
मांग संख्या	13	कृषि
मांग संख्या	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	16	मछलीपालन
मांग संख्या	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय
मांग संख्या	23	जल संसाधन विभाग
मांग संख्या	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
मांग संख्या	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

निर्धारित समय

2 घंटे (2)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री के विभागों से संबंधित—

- मांग संख्या 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
- मांग संख्या 33 आदिम जाति कल्याण
- मांग संख्या 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना
- मांग संख्या 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल
- मांग संख्या 49 अनुसूचित जाति कल्याण
- मांग संख्या 53 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
- मांग संख्या 64 अनुसूचित जाति उपयोजना
- मांग संख्या 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
- मांग संख्या 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन
- मांग संख्या 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
- मांग संख्या 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
- मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा
- मांग संख्या 17 सहकारिता

1 घंटा (3)

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री के विभागों से संबंधित—

- मांग संख्या 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
- मांग संख्या 8 भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन
- मांग संख्या 35 पुनर्वास
- मांग संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

1 घंटा (4)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री के विभागों से संबंधित—

- मांग संख्या 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय
- मांग संख्या 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण
- मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
- मांग संख्या 18 श्रम

रायपुर,  
दिनांक 14 मार्च, 2022

चन्द्र शेखर गंगराड़े  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा